

तारीख  
हुक्म

20-03-24

पत्रावली पेश हुई। वादीनी अधिकतम उपस्थित  
अधिकतम की सहमति से अन्तिम डिडी की जाती है।  
मुताबिक बंटवारा कमिश्नर के लाफ वजित अराजी  
शबसरा संख्या 1069 रकबा 0.69 हेक्टर में उत्तर  
की ओर व शबसरा संख्या 1070 रकबा 0.64 हेक्टर  
कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 हेक्टर वाले ग्राम पाली  
पटवार हल्का बसबाड़ा की कृषि भूमि लादीवी श्रीमती  
प्रेमबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीना के हिस्से  
में रहेगी एवं शबसरा संख्या 1069 रकबा 0.13 हेक्टर,  
शब. सं. 1073 रकबा 1.20 हेक्टर, शब. सं. 1080 रकबा  
0.93 हेक्टर व शब. सं. 1081 रकबा 0.18 हेक्टर कुल  
किता 4 कुल रकबा 2.44 हेक्टर वाले ग्राम पाली  
पटवार हल्का बसबाड़ा कृषि भूमि प्रतिवादीण। लगाफ  
18 के संयुक्त हिस्से में रहेगी। रहन संबंधी  
शेष इन्दाज यथावत रहेगा। उक्तानुसार अन्तिम  
डिडी जारी हो। पत्रावली के मूल शूमार लेकर बाद  
लकमील दाखिल दफ्तर हो।

स्पष्ट अधिकारी  
नामोरी (बन्वी)

अन्तिम डिक्री व मुकदमों इत्यादि  
(O 20, R 6,7)  
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1. अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी.....  
व इजलास..... श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस)

मुकाम..... लाखेरी

प्रेमबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीना बाम  
निवासी- कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़  
वादिनी

1. मधुबाई पत्नी मोडूलाल जाति मीना निवासी ग्राम बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़
2. बंशीलाल आ0 तुलसीराम जाति मीना निवासी नीमसरा पो0 ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. मदनमोहन आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी भैरुपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. दिनेश कुमार आ0 प्रभुलाल जाति मीना निवासी भैरुपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. प्रेमबाई बेवा रंघुनाथ जाति मीना निवासी नीमसरा पो0 ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. महावीर आ0 गोमदा जाति मीना निवासी नीमसरा पो0 ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. चन्द्रप्रकाश आ0 गोमदा जाति मीना निवासी नीमसरा पो0 ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
8. किसकन्धा पुत्री रघुनाथ पत्नी बालचंद जाति मीना निवासी गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
9. संतोषबाई पुत्री रघुनाथ जाति मीना पत्नी राजेन्द्र निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
10. ममता बाई पुत्री रघुनाथ पत्नी सीताराम जाति मीना निवासी लुहावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
11. रामबिलास आ0 मोत्या जाति मीना निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
12. गिरीराज आ0 मोत्या जाति मीना निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
13. रामप्रसाद आ0 मोत्या जाति मीना कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
14. गीता बाई पुत्री श्योजीलाल जाति मीना निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
15. सहाबी बाई पुत्री मोत्या पत्नी हंसराज जाति मीना निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

जायल ३०  
लाखेरी (इन्दी)

16. रामसिया बाई पुत्री मोत्या पत्नी रामबिलास जाति मीना निवासी चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

17. संतोष बाई पुत्री मोत्या पत्नी महावीर जाति मीना निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

18. छीता बाई पुत्री गोमदा पत्नी रामचन्द्र जाति मीना निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कौटा

19. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार इन्द्रगढ़

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 53,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर ..... 26 / दावा / 2022.....

सन.....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....हमारे..... व हाजिरी .....श्री सुरेश कुमार वर्मा अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि

वादीनी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है मुताबिक बंटवारा कमिशनर तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार वाद वर्णित अराजी खसरा संख्या 1069 में से उत्तर की ओर रकबा 0.69है0 व खसरा संख्या 1070 रकबा 0.64 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.33है0 वाके ग्राम पाली पटवार हल्का बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि वादीनी श्रीमती प्रेमबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीना निवासी कांकरामेज के हिस्से में रहेगी व खसरा संख्या 1069 में से दक्षिण की ओर 0.13है0, खसरा संख्या 1073 रकबा 1.20है0, खसरा संख्या 1080 रकबा 0.93है0, खसरा संख्या 1081 रकबा 0.18है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.44है0 वाके ग्राम पाली पटवार हल्का बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ की कृषि भूमि प्रतिवादीगण 1लगायत 18 के मुताबिक जमाबंदी संयुक्त हिस्से में रहेगी एवं रहन संबंधी शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 03 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी(बून्दी)

मुहर	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
मुद्दई			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
1.स्टाम्प अर्जीदावा			2.स्टाम्प अर्जी		
2.स्टाम्प वकालतनामा			3.महनताना वकील		
3.स्टाम्प वजह सबूत			4.खर्चा गवाहोंन		
4.महनताना वकील			5.फीस कमिशनर		
5.खर्चा गवाहोंन			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
6.फीस कमिशनर			7.मुत्ताफरिक		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।